प्रकरण संख्या 04 / 17 RCMS ID-2017 / 00002 ता0रजु 27.04.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. विष्णु
2. सिया
} पि. श्यामलाल जाति माली निवासी हाल बहादुरपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज. — अपीलाण्ट

बनाम

1. शिवकुमार पुत्र छोटेलाल
2. रामजीलाल आयु 70 साल } पि. सूका
3. छोटेलाल आयु 65 साल
} जातियान माली निवासीयान धनीराम सरपंच का पुरा, करौली तहसील व जिला करौली (राज.)
4. तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली (राज.) — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 07.09.2002 न्यायालय तहसीलदार करौली जिसकी रूह से नामांतरकरण संख्या 1001 ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 8 करौली स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 1001 दिनांक 07.09.2002 बाके ग्राम करौली कस्बा का पटवार हल्का नं. 8 तहसील करौली जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील को विदड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त नामांतरकरण दिनांक 07.02.2006 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिये अपील को अपीलाण्ट विदड्रॉ करते हैं।

रेस्पोण्डेण्ट अधिवक्ता ने अपील, अपीलाण्ट को विदड्रॉ किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है।

अतः अपील, अपीलाण्ट विदड्रॉ करने की अनुमति प्रदान की जाती है और अपील विदड्रॉ में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:02:41 IST
Reason: SelfAttested